न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी —संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/119

निगरानी संख्या 19/2024

तारीख रजू. 14.06.2024

1. हरिमोहन पुत्र स्व0 बजरंगलाल प्रजापत निवारी ग्राम बाजोली, तहसील खण्डार।
2. रामनाथी पत्नि स्व0 बजरंगलाल प्रजापत निवासी ग्राम बाजोली, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. फूलवती पत्नि नवल प्रजापत निवासी ग्राम बाजोली, तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।
2. ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान जरिये सरपंच।

...........विपक्षीगण

उपस्थित — वकील निगरानीकर्त्ता श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट

वकील अप्रार्थी सं. 1 श्री कमलेश कुमार जैन एडवाकेट

निर्णय

दिनांक 11.11.2025

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 फूलवती पत्नि नवल प्रजापत निवासी ग्राम बाजोली के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 11 दिनांक 20.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान के आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु पेश की गई।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली चाही जाने पर ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान के पत्र दिनांक 03.11.2025 के द्वारा उक्त पटटा पत्रावली एवं पटटा संबंधी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान द्वारा जारी पटटा संख्या 11 दिनांक 20.02.2024 की प्रमाणित प्रति के आधार पर ही उभय पक्ष द्वारा बहस सुने जाने का निवेदन करने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि वाके ग्राम बाजोली तहसील खण्डार के निवासी स्व० बजरंगलाल प्रजापत के तीन पुत्र कमशः बद्री, हरिमोहन नवल एवं तीन पुत्रियां पुष्पा, तुलसी [illegible] कुल 6 संतान है एवं बजरंगलाल के निधन के पश्चात उसकी अचल [illegible] में आपसी सहमति से बटवारा किया गया। बटवारे के अनुसार [illegible] 24 जिसमे एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कमरा बना हुआ है जो स्व० बजरंगलाल ने बनवाया था। उक्त भूखण्ड बटवारे मे नवल एवं अपीलार्थी हरिमोहन का 1/2 – 1/2 भाग दिया गया। यह कि रेस्पोडेन्ट के पति नवल ने छल एवं कपट पूर्वक तरीके से पूरे भूखण्ड का रिहायशी पटटा अपनी पत्नि फूलवती के नाम बनवा लिया। पटटा जारी करने से पूर्व हरखास आम को सूचना जारी नहीं की है। पटटा गुप्त रूप से कपट पूर्ण तरीके से बनवाया गया है। पटटा जारी होने की सूचना अपीलाण्ट को मिलने पर अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत मे शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश की तो ग्राम पंचायत ने तहसीलदार खण्डार (उप पंजियक) को एक पत्र दिनांक 10-05-2024 को प्रेषित किया है कि उक्त पटटा का रजिस्ट्रेशन नही किया जावे। इस प्रकार स्पष्ट है कि पटटा विधि विरुद्ध जारी किया गया है। पटटा राजस्थान पंचायती राज के नियम 1966 के नियम 157(1) के प्रावधानों में जारी करना बताया है। जिसमे पचास वर्ष पूर्व का कब्जा होना अंकित किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट की 50 वर्ष की आयु नही है एवं वह स्व० बजरंगलाल के पुत्र नवल की पत्नि है जो इसी गाँव से शादी होकर आयी जिसे अभी कुछ ही समय हुआ है। इस प्रकार से पटटा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पटटा शुल्क कितना लिया गया। इसका वर्णन भी पटटे मे नही है। पटटा 25 गुणा 25 का जारी करना बताया है। जबकि वर्गगज क्षेत्रफल में 61.44 अंकित है। इस प्रकार से पटटा गुप्त रूप से बनाया गया पटटा है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत ने स्व० बजरंग लाल की सम्पत्ति का पटटा देने से पूर्व उसकी पत्नि अपीलाण्ट संख्या 2 तक से पूछताछ नही की इसी बिना पर पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पटटा दिनांक 20-02-2024 की जानकारी दिनांक 13-05-24 को होने पर ग्राम पंचायत मे शिकायत की जिस पर कोई ठोस कार्यवाही नही होने पर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा संख्या 11 दिनांक 20-02-2024 को निरस्त करने की कृपा करे।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने वकील निगरानीकर्ता की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा संख्या 11 आदेश दिनांक 20.02.2024 जारी किया गया है जिसे दिनांक 13.05.2024 को तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार द्वारा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। उक्त पटटे के रजिस्टर्ड होने के पश्चात निगरानीकर्ता ने जानबूझ कर अप्रार्थी सं0 1 को परेशान करने की गरज से निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता द्वारा जो बटवारानामा पेश किया गया है वह पटटा रजिस्टर्ड होने के पश्चात का पेश किया है तथा उक्त बटवारानामा सभी की सहमति से नहीं किया जाकर मात्र बद्री एवं रामनाथी के हस्ताक्षर से बनाया गया है जिसकी कोई वैधता नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में यह तर्क [illegible] कि उक्त पटटा विधिवत तरीके से उप पंजीयक के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। [illegible] पटटा होने के कारण उक्त रजिस्टर्ड पटटे के निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार [illegible] न्यायालय को नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत बिचपुरी गुजरान द्वारा जारी किये गये पटटा संख्या 11 दिनांक 20.02.2024 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभय पक्ष द्वारा पेश किये गये दस्तावेजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पटटा दिनांक 13.05.2024 को तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार के द्वारा रजिस्टर्ड करवाया है। जिसके लगभग एक माह पश्चात् निगरानी पेश की गई है। उक्त पटटा निगरानी पेश करने से पूर्व ही उप पंजीयक के द्वारा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड पटटे के निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज फरमायी जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2024 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested